न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 92/2023

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनाम:—

सुनील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार (विक्रेता)
मैसर्सः—मुस्कान मिष्ठान भंडार, ऑपोजिट नेहरू धर्मशाला, पुरानी नगरपालिका रोड़, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 17, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री करणी सिंह शेखावत, अभिभाषक अप्राथी।

—:निर्णयः—

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

दिनांक :—29.05.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 13.03.2023 को समय सांय 03.45 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—मुस्कान मिष्ठान भंडार, ऑपोजिट नेहरू धर्मशाला, पुरानी नगरपालिका रोड़, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर सुनील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 17, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते काउंटर में स्टील ट्रे में बर्फी (मावा मिठाई) तादाद करीब 05 किलोग्राम रखी हुई थी। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 02 किलोग्राम नमूना जांच वास्ते क्रय कर ली। जिसको चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली कांच की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी की बर्फी (मावा मिठाई) में 40—40 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त बर्फी (मावा मिठाई) के खरीद मूल का 600/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा बर्फी (मावा मिठाई) 02 किलोग्राम को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके—2489 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी [illegible] ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभि[illegible]री, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2489 मि[illegible] चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे सफेद धागे से बांधा व [illegible] किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवा[illegible] सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने [illegible] में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.14 17:02:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 306 दिनांक 27.03.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच **Sub-Standard Food** प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/6333–34 दिनांक 12.04.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने **Sub-Standard** बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर बर्फी (मावा मिठाई) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस की गई कि अप्रार्थी की दुकान से लिये गये सैंपल में जो कमी पाई गई है वह नाममात्र है जो वातावरण के कारण आ सकती है। अप्रार्थी अपना घर का गुजारा करने के लिए छोटी–सी दुकान चलाता है। उक्त नमूने को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा मात्र सब–स्टैण्डर्ड फूड घोषित किया है। नमूने में मुताबिक जांच रिपोर्ट ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 (2)(2) का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थी एक लघु श्रेणी का कारोबारी है अतः अप्रार्थी को एफएसएसए की धारा 31 (2) का लाभ प्रदान किया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस में लैब रिपोर्टनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई बर्फी (मावा मिठाई) की जांच में **Sub-Standard** की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण में लैब रिपोर्टानुसार मानकों में अंतर ज्यादा नहीं पाया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के **Sub-Standard** कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के ना[illegible] से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक[illegible] उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.202[illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.14 17:02:06 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़